

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
REGIONAL OFFICE RAIPUR

दिनांक: 13.03.2023

सूचना / NOTICE

राष्ट्र स्तर पर पेंशन अदालत / Nation-wide Pension Adalat

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पेंशन अदालत दिनांक 21.03.2023 (मंगलवार) को आयोजित किया जावेगा। इस संबंध में सभी पेंशनभोगी, जो क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के सेवा अंतर्गत आते हैं, से अनुरोध है कि इस संबंध में उनकी कोई शिकायत हो तो दिनांक **16.03.2023** तक ईमेल के माध्यम से **grievancekvsrorpr@gmail.com** पर भेजने का कष्ट करें।

उक्त ईमेल पर पेंशनभोगी अपनी शिकायत भेजने से पहले निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखें:

1. शिकायत केवल पेंशन/पारिवारिक पेंशन से संबंधित होनी चाहिये।
2. पेंशन भोगी का नाम तथा मूल कर्मचारी का नाम अवश्य लिखें।
3. शिकायतकर्ता अपना पूरा पता, मोबाईल नंबर एवं ईमेल अवश्य लिखें।
4. यथा संभव सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
5. PPO में दर्ज बैंक अकाउंट नंबर अवश्य लिखें।
6. अगर PPO में दर्ज बैंक अकाउंट नंबर परिवर्तित हो गया है तो पुराना एवं नया बैंक अकाउंट दोनों दर्ज करें।

पेंशनभोगी, जिनकी शिकायतों पर पेंशन अदालत में विचार किया जावेगा, वो दिनांक 21.03.2023 को ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने हेतु विडियो कांफ्रेंस लिंक एवं समय अवधि की सूचना उनके ईमेल में भेज दिया जावेगा।

(विनोद कुमार)

उपयुक्त

वितरण:

1. के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय वेबसाईट
2. सूचना पट्टी
3. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के व्हाट्सएप ग्रुप
4. सभी प्राचार्य, के.वि.सं. रायपुर संभाग अंतर्गत समस्त केन्द्रीय विद्यालय: यह सूचना यथा संभव ज्यादा से ज्यादा पेंशनभोगियों तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर
REGIONAL OFFICE RAIPUR

Date: 13.03.2023

सूचना / NOTICE

राष्ट्र स्तर पर पेंशन अदालत / Nation-wide Pension Adalat

Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office Raipur is going to conduct Pension Adalat on 21.03.2023 (Tuesday). In this regard all Pensioners, who are served from Regional Office Raipur, are requested to submit their grievances by email to **grievancekvsrorpr@gmail.com** on or before **16.03.2023**.

Before sending their grievances to the above email, Pensioners may please note the following points:

1. Grievance should be related to pension/family pension only.
2. Name of Pensioner and original employee should be written.
3. Full address, mobile number and email ID should be provided.
4. As far as possible, supporting document should be provided.
5. Bank account number mentioned in PPO should be written.
6. If bank account number mentioned in PPO has changed, then provided both the old account number and new account number.

Pensioners, whose grievances are to be considered during Pension Adalat, will be provided with online Video Conference link and time slot by email to attend the Adalat through online mode on 21.03.2023.

(Vinod Kumar)
Deputy Commissioner

Distribution:

1. Website of KVS RO Raipur
2. Notice Board
3. Whatsapp group of Retired KVS employees. (Raipur Region)
4. All Principals, KVs under Raipur Region: This information may be shared with as many as pensioners.